प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 50/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
भादूविप्रा ने टीसीसीसीपीआर, 2018 के तहत डिजिटल सहमति अधिग्रहण (डीसीए) के कार्यान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए

नई दिल्ली, 2 जून 2023 - भादूविप्रा ने अवांछित वाणिज्यिक सम्प्रेषण (यूसीसी) के माध्यम से स्पैम के खतरे को रोकने के अपने प्रयास में हाल के दिनों में कई उपाय किए हैं जैसे पीई हेडर और मैसेज कंटेंट टेम्पलेट्स के संबंध में डेटा की सफाई, मैसेज कंटेंट टेम्पलेट में चर टैग करना, आदि। उपरोक्त कार्रवाइयों के क्रम में, भादूविप्रा ने अब सभी सेवा प्रदाताओं और प्रधान इकाईयों में ग्राहकों की सहमति को डिजिटल रूप से पंजीकृत करने के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म एवं प्रक्रिया बनाने के लिए डिजिटल सहमति अधिग्रहण (डीसीए) सुविधा विकसित करने और तैनात करने के लिए सभी एक्सेस प्रदाताओं को एक निर्देश जारी किया है। इसमें शामिल कार्य की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, भादूविप्रा ने सभी एक्सेस प्रदाताओं द्वारा ऐसी सुविधाओं को विकसित करने और उसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए दो महीने का समय आवंटित किया है। यह निर्देश भादूविप्रा द्वारा अपने दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 (टीसीसीसीपीआर-2018) के तहत जारी किया गया है।

प्रचलित व्यवस्था में, सहमति विभिन्न संस्थाओं जैसे बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों, व्यापारिक कंपनियों, व्यावसायिक संस्थाओं, रियल एस्टेट कंपनियों, आदि, जिन्हें टीसीसीसीपीआर-2018 विनियमों में प्रधान इकाई से संदर्भित किया जाता है, द्वारा प्राप्त की जाती है और बनाए रखी जाती है। इसलिए, एक्सेस प्रदाताओं के लिए सहमति की सत्यता की जांच करना संभव नहीं है। इसके अलावा, ग्राहकों द्वारा सहमति प्रदान करने या रद्द करने के लिए कोई एकीकृत प्रणाली नहीं है।

डिजिटल सहमति अधिग्रहण (डीसीए) प्रक्रिया में, टीसीसीसीपी विनियम 2018 के तहत परिकल्पित प्रक्रियाओं के अनुसार, ग्राहकों की सहमति लेने, बनाए रखने और रद्द करने की सुविधा होगी। एकत्र किए गए सहमति डेटा को सभी एक्सेस प्रदाताओं द्वारा स्क्रबिंग के लिए डिजिटल लेजर प्लेटफॉर्म (डीएलटी) पर साझा किया जाएगा।

एक्सेस प्रदाताओं को यह भी निर्देशित किया गया है कि सहमति प्राप्त करने वाले संदेश भेजने के लिए एक उभय (कॉमन) शॉर्ट कोड 127xxx का उपयोग करें। शॉर्ट कोड के माध्यम से भेजे गए सहमति प्राप्त करने वाले संदेश में उद्देश्य, सहमति का दायरा और प्रधान

इकाई/ ब्रांड नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। सहमति प्राप्त करने वाले संदेशों में केवल श्वेतसूची वाले यूआरएल/ एपीके/ ओटीटी लिंक/ कॉल बैक नंबर आदि का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, एक्सेस प्रदाता किसी भी प्रधान इकाई द्वारा शुरू किए गए सहमति मांगने वाले संदेशों को प्राप्त करने के लिए ग्राहकों की अनिच्छा को दर्ज करने के लिए एक एसएमएस/ आईवीआर/ ऑनलाइन सुविधा विकसित करेंगे।

पहले चरण में, केवल सब्सक्राइबर द्वारा शुरू किए गए सहमति-अधिग्रहण को भादूविप्रा द्वारा अनुमति दी गई है। इसके बाद, पीई द्वारा शुरू किए गए सहमति-अधिग्रहण को अनुमति दी जाएगी। प्रारंभ में बैंकिंग, बीमा, वित्त और व्यापार से संबंधित क्षेत्रों से संबंधित प्रधान इकाईयों को सहमति अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने के लिए ऑन-बोर्ड किया जाएगा और शेष क्षेत्रों को बाद में ऑन-बोर्ड किया जाएगा।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए श्री जयपाल सिंह तोमर, सलाहकार (क्यूओएस) भादूविप्रा से दूरभाष नंबर 011-23230404 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह/-

(वी. रघुनन्दन)

सचिव, भादूविप्रा